

अध्याय - 1 सामाजिक क्षेत्र पर प्रस्तावना

1.1 प्रस्तावना

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के सामाजिक क्षेत्र के सरकारी विभागों तथा स्वायत्त निकायों के लेनदेन की अनुपालना लेखापरीक्षा तथा भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक (नि.म.ले.प.) का यह प्रतिवेदन चयनित कार्यक्रमों, योजनाओं, विभागों इत्यादि की निष्पादन लेखापरीक्षा, विषयक लेखापरीक्षा, मुख्य नियंत्रक अधिकारी (सीसीओ) आधारित लेखापरीक्षा तथा रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के सामाजिक क्षेत्र के सरकारी विभागों तथा स्वायत्त निकायों के लेन-देनों की अनुपालना लेखापरीक्षा से उत्पन्न मामलों से संबंधित है।

अनुपालना लेखापरीक्षा लेखापरीक्षित इकाईयों के व्यय, प्राप्तियों, परिसंपत्तियों एवं देयताओं से संबंधित लेन-देन की जाँच से संबंधित है जिसमें भारत के संविधान के प्रावधानों, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विभिन्न निर्देशों एवं आदेशों तथा लागू कानून, नियमों एवं विनियमों को सुनिश्चित करने हेतु अनुपालना की जा रही है।

निष्पादन लेखापरीक्षा एक स्वतंत्र आकलन अथवा उस सीमा का परीक्षण है जहाँ तक विभाग, कार्यक्रम तथा योजना का प्रचालन मितव्यतापूर्वक, दक्षतापूर्वक एवं प्रभावी तरीके से करता है।

सीसीओ आधारित लेखापरीक्षा में सरकारी विभागों, इसके स्वायत्त निकायों एवं उनकी इकाईयों के प्रचालनीय निष्पादन को ऊपर से नीचे संवीक्षा तथा वित्तीय लेखा परीक्षा तथा अनुपालना लेखापरीक्षा सम्मिलित है।

प्रतिवेदन का प्राथमिक उद्देश्य लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को विधायिका के ध्यान में लाना है। लेखा परीक्षा मानकों की आवश्यकता है कि प्रतिवेदन को कार्यान्वयन स्तर पर लेन-देन की प्रकृति, परिणाम तथा मात्रा के अनुरूप होना चाहिए। लेखापरीक्षा प्राप्ति कार्यकारी को उपचारी कार्रवाई हेतु सक्षम बनाती है ताकि नीतियाँ एवं निर्देशों को तैयार किया जाए जिनसे संगठन के निष्पादन में सुधार हो, इस प्रकार, बेहतर प्रशासन में योगदान हो सके।

यह प्रतिवेदन, लेखापरीक्षा की मात्रा तथा योजना को वर्णित करते हुए महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के सार एवं लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुपालन का संक्षिप्त विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इस प्रतिवेदन के **अध्याय 2** में दिल्ली में सीवेज प्रबंधन तथा जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के निष्पादन लेखापरीक्षा से उत्पन्न प्राप्ति/अभ्युक्तियाँ शामिल हैं। **अध्याय 3** में दिल्ली में जल प्रबंधन; दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में मरीजों की देखभाल की सुविधाओं, 'दिल्ली लाडली स्कीम' एवं दिल्ली भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिकों का कल्याण बोर्ड शामिल है। **अध्याय 4** में सरकारी विभागों में लेन-देन की लेखापरीक्षा तथा **अध्याय 5** में

‘स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशालय’ की सीसीओ आधारित लेखापरीक्षा से उत्पन्न अभ्युक्तियाँ शामिल हैं ।

1.2 लेखापरीक्षित इकाईयों की रूपरेखा

लेखापरीक्षा उद्देश्य के लिए सरकारी विभागों को सामाजिक क्षेत्र, सामान्य क्षेत्र, राजस्व क्षेत्र तथा आर्थिक क्षेत्र (गैस-पीएसयू) तथा सभी क्षेत्रों के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में वर्गीकृत किया गया । यह प्रतिवेदन समाजिक क्षेत्र (गैस-पीएसयू) की लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को शामिल करता है ।

राज्य में सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत 23 विभाग हैं, प्रत्येक की अध्यक्षता एक मुख्य सचिव /सचिव करता है, जिनकी सहायता के लिए निदेशक/ आयुक्त अथवा अधीनस्थ अधिकारी होते हैं । सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत 1433 इकाईयाँ हैं, जो कि प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली के लेखापरीक्षा अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं । 2011-12 के दौरान लेखापरीक्षा में कुल 84 इकाईयाँ शामिल की गई ।

1.3 राज्य सरकार की व्यय रूपरेखा

वर्ष 2011-12 के दौरान रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार का कुल व्यय पूँजीगत व्यय तथा अनुदानों को शामिल करते हुए ₹ 21969.13 करोड़ था । इस व्यय से सामाजिक सेवाओं पर ₹ 10717.12 करोड़ का व्यय हुआ जो कि रा.रा.क्षे.दि.स. के कुल व्यय का 49 प्रतिशत था । पिछले पाँच वर्षों अर्थात् 2007-08 से 2011-12 में सामाजिक सेवाओं, सामान्य सेवाओं तथा आर्थिक सेवाओं पर किए गए व्यय का एक तुलनात्मक विवरण राज्य वित्त (रा.रा.क्षे.दि.स.) पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अध्याय-I में दिया गया है ।

1.4 लेखापरीक्षा के लिए प्राधिकार

नि.म.ले.प. द्वारा लेखापरीक्षा का प्राधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 एवं 151 तथा नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवाशर्तें) अधिनियम, 1971 से प्राप्त हुआ है । रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के विभागों के व्यय की लेखापरीक्षा नि.म.ले.प. (डीपीसी) अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत की जाती है । रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के विभागों के अंतर्गत पाँच स्वायत्त निकायों¹ के मामलों में नि.म.ले.प. मुख्य लेखापरीक्षक है, जिनकी लेखापरीक्षा नि.म.ले.प. (डीपीसी) अधिनियम की धारा 19(3) तथा 20(1) के अंतर्गत की जाती है । इसके अतिरिक्त, नि.म.ले.प. 50 अन्य स्वायत्त निकायों की पूरक लेखापरीक्षा नि.म.ले.प. (डीपीसी) अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत करता है, जिनको रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा मुख्य रूप से निधियाँ प्राप्त होती हैं । लेखापरीक्षा

¹ नेताजी सुभाष प्रौद्योगिक संस्थान, गुरु गोविंद सिंह इन्द्रप्रस्थ विद्यालय, दिल्ली भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड, दिल्ली कल्याण समिति तथा दिल्ली जल बोर्ड

के लिए सिद्धान्तों तथा प्रक्रियाओं का निर्धारण लेखापरीक्षा मानकों तथा नि.म.ले.प. द्वारा जारी लेखाओं तथा लेखापरीक्षा के नियमन, 2007 में किया गया है।

1.5 प्र.म.ले.(लेखापरीक्षा), दिल्ली के कार्यालय की संगठनात्मक संरचना

नि.म.ले.प. के निर्देशों के अंतर्गत, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली राज्य सरकार के विभागों, स्वायत्त निकायों तथा सरकारी कंपनियों की लेखापरीक्षा करता है। प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को उनके कार्यालय कार्यों में सहायता देने के लिए वरिष्ठ उपमहालेखाकार/उप महालेखाकार, लेखापरीक्षा अधिकारी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी तथा सहायक कर्मचारी होते हैं।

1.6 लेखापरीक्षा की योजना बनाना तथा आयोजित करना

लेखापरीक्षा प्रक्रिया विभिन्न सरकारी विभागों/संस्थाओं/स्वायत्त निकायों तथा योजनाओं/परियोजनाओं इत्यादि पर आधारित व्यय, कार्यों की आलोचनात्मकता/दुरुहता, हस्तांतरणीय वित्तीय शक्तियों का स्तर, आंतरिक नियंत्रण का आकलन, हितधारकों के संबंध में जोखिम आकलन के साथ प्रारंभ होती है। पूर्व लेखापरीक्षा प्राप्तियाँ इस कार्य के लिए इनपुट माने जाते हैं।

प्रत्येक इकाई की लेखापरीक्षा पूरी करने के बाद, लेखापरीक्षा प्राप्तिओं को शामिल करते हुए लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन इकाई/विभाग के प्रधान को जारी की जाती है। इकाईयों से लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन की प्राप्ति के एक माह के भीतर लेखापरीक्षा प्राप्तिओं पर उत्तर प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाता है। जबभी उत्तर प्राप्त होते हैं, लेखापरीक्षा प्राप्तिओं का या तो निपटान किया जाता है या अनुपालन हेतु आगे कार्रवाई के लिए सलाह दी जाती है। इन लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों से उत्पन्न लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को नि.म.ले.प. के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करने हेतु संसाधित किया जाता है।

2011-12 के दौरान, विभिन्न विभागों/संस्थाओं की 1433 इकाईयों में से 84 इकाईयों की अनुपालना लेखापरीक्षा करने के लिए 1570 पार्टी-दिवसों का उपयोग किया गया।

1.7 लेखापरीक्षा अभ्युक्ति

प्रस्तुत प्रतिवेदन में दो निष्पादन लेखापरीक्षाएँ, चार विषय आधारित लेखापरीक्षाएँ, अनुपालना लेखापरीक्षा पर पाँच पैराग्राफ तथा एक सीसीओ आधारित लेखापरीक्षा शामिल है। इन लेखापरीक्षाओं की विशेषताएँ निम्न पैराग्राफों में (पैराग्राफ 1.7.1 से पैराग्राफ 1.7.6) दी गई हैं:

1.7.1 दिल्ली में सीवेज प्रबंधन पर निष्पादन लेखापरीक्षा

दिल्ली में सीवेज प्रबंधन के लिए दो एजेंसियाँ हैं। घरेलू सीवेज के संशोधन के लिए दिल्ली जल बोर्ड तथा औद्योगिक सीवेज के संशोधन हेतु दिल्ली औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम उत्तरदायी है।

दि. ज. बो. ने जोड़ा कि 2007-12 के एक एमजीडी क्षमता की एसटीपी तथा 900 कि.मी. की सीवर लाईन डाली गई तथा 2010-11 (शत प्रतिशत) तथा 2011-12 (51 प्रतिशत) के दौरान जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत प्राप्त सहायता अनुदान का उपयोग नहीं किया जा सका।

दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए दि. ज. बो. ने कोई महत्वपूर्ण योजना नहीं बनाई थी। 32 सीवेज शोधन संयंत्रों (एसटीपी) में से 15 के अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि ये सभी एसटीपी अपनी क्षमता से कम कार्य कर रहे थे। दि. ज. बो. दिल्ली द्वारा उत्सर्जित 680 एमजीडी में से मात्र 367 एमजीडी (54 प्रतिशत) ही एकत्र करने तथा संशोधित करने में सक्षम था एवं शेष बचे सीवेज में 543.40 एमजीडी सीवेज शोधन क्षमता होने के बावजूद इसे तीव्र प्रवाह नालियों द्वारा यमुना नदी में प्रवाहित कर दिया गया।

एसटीपी तथा सीवेज पंपिंग स्टेशनों (एसपीएस) के निर्माण से कार्य सौंपे जाने में हुई देरी के कारण लागत वृद्धि (₹ 92.47 करोड़), परियोजनाओं के पूरा होने में देरी के कारण जुर्माना नहीं लगाया जाना (₹ 37.14 करोड़) तथा ठेकेदार को ऋण मुक्त मोबलाइजेशन अग्रिम दिए जाने के कारण हानि (₹ 6.25 करोड़) का पता चला। एसटीपी तथा एसपीएस के अनुरक्षण से करें के अनियमित भुगतान (₹ 19.24 करोड़) एवं निष्फल व्यय (₹ 10.20 करोड़) का पता चला।

औद्योगिक सीवेज के शोधन के संबंध में, 15 में से 4 कॉमन एफ्लुेंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीइटीपी) जो कि 1998 तक तैयार किए जाने थे दिसम्बर 2012 तक तैयार नहीं हुए जिस कारण यमुना में औद्योगिक सीवेज शोधित हुए बिना प्रवाहित हो रहा था औद्योगिक सीवेज लाने वाले ऐसे नाले जो कि सीइटीपी से संलग्न नहीं थे, यमुना में सीधे प्रवाहित हो रहे थे। सीइटीपी की अधिष्ठापित क्षमता वास्तविक आवश्यकता से कहीं ज्यादा थी और ये अधिष्ठापित क्षमता के केवल 5 से 62.50 प्रतिशत का उपयोग कर रहे थे।

1.7.2 जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन

जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) दिसम्बर 2005 में देशभर के शहरों के तीव्र विकास एवं सुधार के उद्देश्य के साथ प्रारंभ की गई थी। मिशन के अंतर्गत परियोजना के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी (एसएलएनए) के पास पर्याप्त जनशक्ति नहीं थी। इस मिशन के अंतर्गत निर्मित परिसंपत्तियों के भविष्य में अनुरक्षण के लिए कोई रिवाल्विंग निधि नहीं रखी गई। परियोजना की प्रगति पर नजर रखने के लिए कार्यान्वयन प्रबंधन इकाई तथा कार्यक्रम

कार्याव्ययन इकाई की स्थापना नहीं की गई । रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा यूआईजी के लिए आवंटित ₹ 2823.18 करोड़ में से ₹ 196.88 करोड़ उपयोग नहीं किए जा सके । राज्य स्तरीय संचालन समिति तथा एसएलएनए ने शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) को बिना किसी मॉग के ₹ 200 करोड़ जारी किया । बाधामुक्त स्थलों की अनुपलब्धता के कारण 44720 आवासीय इकाइयों (डीयू) के निर्माण का कार्य छोड़ दिया गया था 10684 निर्मित डीयू में से केवल 85 का आवंटन लाभार्थियों को किया जा सका क्योंकि डीयू के आवंटन की नीति को केवल जनवरी 2011 में अंतिम रूप दिया गया । सरकार द्वारा निर्णय लेने में देशी के कारण यमुना नदी पर पुल के निर्माण की लागत ₹ 672 करोड़ से बढ़ गई । दि.ज.बो. ने इंटरसेप्टर-सीवरेज सिस्टम डालने की परियोजना का परामर्श कार्य नामांकन आधार पर मैसर्स इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को सौंपा तथा कई कारणों से समझौते में कमियाँ भी थी । दि.न.नि. ने सड़कों के सुधार पर ₹ 4.33 करोड़ का व्यय किया जो इसकी कार्यसमिति द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया ।

1.7.3 दिल्ली में जल प्रबंधन

वर्तमान में दिल्ली में उपलब्ध असंसाधित जल दिल्ली की समस्त जनसंख्या को निर्धारित मानकों के अनुसार पेयजल प्रदान करने के लिए अपर्याप्त था । दिल्ली में असंसाधित जल की वृद्धि के लिए 1994 में यमुना नदी पर दो बांध प्रस्तावित किए गए जो कि ₹ 214 करोड़ का व्यय करने के बाद भी 18 वर्षों में भी निर्मित नहीं किए जा सके । डब्ल्यूटीपी तथा अपव्यय जल पुनःसंसाधन संयंत्र में उत्पादित पेयजल निर्दिष्ट क्षमता से कम पाया गया । चंद्रावल में 8-एमजीडी की पुनःसंसाधन संयंत्र की स्थापना चार वर्षों से भी अधिक देशी के बाद की गई ।

विभिन्न क्षेत्रों में जल की आपूर्ति तथा जनसंख्या के विश्वसनीय आँकड़ों की कमी के कारण जनसंख्या के मध्य पेयजल का समान वितरण नहीं किया जा रहा था । आगे दिल्ली के 24.8 प्रतिशत घरों में पाईप लाईन की अनुपस्थिति के कारण टैंकरों से जल आपूर्ति की जा रही थी, जहाँ निर्धारित मानक 172 लीटर के प्रति 3.82 लीटर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति आपूर्ति थी । उपभोक्ता स्तर पर जल की मीटरिंग व्यापक नहीं थी जिसके कारण पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्पादित जल के 40 प्रतिशत से कम की ही बिलिंग की गई ।

1.7.4 दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में मरीजों की देखभाल की सुविधा

विषयक लेखापरीक्षा से ज्ञात हुआ कि अस्पतालों में बजटीय एवं व्यय नियंत्रण अपर्याप्त था जिसके कारण मशीनरी एवं उपकरण; 'आपूर्ति एवं सामग्री' तथा 'वेतन' के शीर्षों में स्थायी बचतें हुईं जो उपकरणों, दवाओं की कम खरीद तथा कर्मचारियों की कमी को इंगित करता है। ओपीडी सेवाएं चिकित्सीय उपकरणों, दवाओं, इंजेक्शनों, आधारभूत संरचनाओं तथा चिकित्सा सहायक मदों की कमी के कारण प्रभावित हुईं। आपातकालीन

विभाग में अत्यावश्यक उपकरण, दवाओं तथा पर्याप्त कर्मचारियों की कमी के कारण जरूरी सेवाएँ नहीं दी जा रही थी। बिस्तारों की संख्या, जरूरी उपकरण, मरीज ट्राली इत्यादि अस्पताल द्वारा प्रत्येक दिन देखे गए मरीजों की संख्या के तदनुसूच नहीं थे। प्रयोगशालाएँ एवं निदान सेवाओं की कई कारणों से कमी पाई गई। जाँच उपकरणों के खराब होने के कारण अस्पतालों में कुछ परीक्षण नहीं कराए जा सके। सभी पाँच लघु अस्पतालों में ब्लड बैंक नहीं थे, जबकि जीटीबी अस्पताल में ब्लड बैंक का लाइसेंस नवीकृत नहीं किया गया था। जीटीबी तथा एलएन अस्पताल रोगियों के बजाए अन्य विभिन्न उद्देश्यों के लिए एम्बुलेंस का उपयोग कर रहे थे, और एम्बुलेंसों में आधारभूत जीवन रक्षक तंत्र के लिए अत्यावश्यक उपकरण नहीं थे। जीटीबी अस्पताल में, आपातकालीन स्थिति में ₹ 7.17 करोड़ की लागत से एक सी टी स्कैनर खरीदा गया लेकिन अधिष्ठापन की निर्धारित तिथि से 20 माह की देरी के बाद अधिष्ठापित किया गया।

1.7.5 दिल्ली लाडली स्कीम

बालिकाओं की वित्तीय सुरक्षा तथा पर्याप्त शिक्षा सुनिश्चित कर परिवार तथा समाज में उनकी समाजिक स्थिति बढ़ाना, उन्हें आत्मविश्वासी बनाना तथा भेदभाव और वंचन से बचाना इस स्कीम का उद्देश्य है। स्कीम प्रारंभ करते समय इसके अंतर्गत आने वाले लक्षित लाभार्थियों के आवश्यक आँकड़े उपलब्ध नहीं थे, अस्पताल तथा विद्यालयों के लिए लाभार्थियों के क्रमशः जन्म रत्तर तथा विद्यालय रत्तर पर पंजीकृत तथा नवीकरण करने के लिए दिशानिर्देश सूत्रबद्ध नहीं किए गए।

एसबीआईएल, निधि प्रदान करने वाली एजेंसी ने 2008-09 तथा 2009-10 के दौरान क्रमशः 6.5 तथा 7 प्रतिशत का ब्याज दर दिया, जो कि 10.5 प्रतिशत की अनुमानित दर का लगभग दो तिहाई था। 2010-12 के दौरान नवीकृत किए जाने वाले 125808 मामलों में से केवल 73108 मामले (58.11 प्रतिशत) नवीकृत किए जा सके।

1.7.6 दिल्ली भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड

बोर्ड ने दिल्ली के सभी निर्माण श्रमिकों की गणना नहीं की, क्योंकि 2001 के जनगणना आँकड़ों में 352830 श्रमिक शक्ति, के प्रति 31 मार्च 2012 तक केवल 87273 निर्माण मजदूर पंजीकृत किए गए। अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित 15 कल्याण योजनाओं में से केवल 7 योजनाओं का लाभ सदस्यों द्वारा उठाया गया जो यह इंगित करता है कि जागरूकता का अभाव है।

छः वित्तीय वर्षों में, बोर्ड ने कुल व्यय की निर्धारित पाँच प्रतिशत की सीमा से अधिक प्रशासनिक व्यय किया। शिक्षा निदेशालय तथा स्वास्थ्य सेवा निदेशालय को एकमुश्त क्रमशः ₹ 13.20 करोड़ तथा ₹ 4.24 करोड़ जारी किए गए, जिस में से ₹ 6.99 करोड़ अप्रयुक्त रहे। सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा मिशन को बोर्ड द्वारा ₹ 7.50 करोड़ प्रदान किए जाने के बाद भी निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए निर्माण स्थल पर सरकार द्वारा 25 चल विद्यालयों की स्थापना का निर्णय कार्यान्वित नहीं किया जा सका। अविवेकी वित्तीय निर्णय के परिणामस्वरूप आगे ₹ 4.24 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

बोर्ड की कार्यप्रणाली, पर्याप्त जनशक्ति एवं बजट को नियंत्रित करने वाले प्रावधान, वार्षिक प्रतिवेदन, श्रमिकों का पंजीकरण, बोर्ड की बैठक, भारत के नि.म.ले.प. को लेखों की प्रस्तुति इत्यादि में कमी के कारण प्रभावित हो रही थी ।

1.7.7 अनुपालना लेखापरीक्षा

सरकारी विभागों /संस्थाओं की कार्यप्रणाली को गंभीर रूप से प्रभावित करने वाले क्षेत्रों की महत्वपूर्ण कमियों के विषय में लेखापरीक्षा ने इंगित किया । इनको मुख्य रूप से निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है;

- (क) नियमों तथा विनियमों की गैर-अनुपालना;
- (ख) औचित्य लेखापरीक्षा तथा पर्याप्त तर्कसंगति के बिना व्यय के मामले; तथा
- (ग) निरीक्षण/प्रशासन की विफलता ।

क. औचित्य लेखापरीक्षा / न्याय संगतता के बिना व्यय

- ◆ आवश्यकता से अधिक विनिर्देशन के 1100 पैलेट्स ₹ 8500 की उच्च दर पर खरीदे जाने के कारण ₹ 65.84 लाख का परिहार्य व्यय हुआ तथा आपूर्ति करने वाली फर्म को अनुचित लाभ मिला ।

(पैराग्राफ 4.1.1)

- ◆ खाद्य अपमिश्रण की रोकथाम के निदेशालय ने उपकरणों की खरीद बिना उचित योजना के की जिससे इसके प्रचालन के लिए तकनीकी कर्मचारियों की उपलब्धता भी सुनिश्चित नहीं की जा सकी । इसके परिणामस्वरूप, ₹ 45.10 लाख के मूल्य के उपकरण 48 माह तक अनुप्रयुक्त पड़े रहे ।

(पैराग्राफ 4.1.2)

- ◆ अस्पतालों द्वारा उपभोज्य/गैर-उपभोज्य मदों के बिना इसकी आवश्यकता के अविवेकपूर्ण खरीद के परिणामस्वरूप ₹ 42.87 लाख की निधियाँ तीन साल से भी अधिक समय के लिए अवरुद्ध पड़ी रही ।

(पैराग्राफ 4.1.3)

ख. निरीक्षण/प्रशासन की विफलता

- ◆ शहरी विकास विभाग एमएलएलएडी योजना के अंतर्गत स्ट्रीट लाईट तथा हाई मास्ट लाईट के कार्य के लिए निजी विद्युत वितरण कंपनियों को निधियाँ जारी की गईं । यद्यपि, इन कंपनियों के पास परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए कोई निगरानी तंत्र नहीं था । इसके परिणामस्वरूप इन कंपनियों के पास ₹ 6.28 करोड़ की राशि का अवरोधन हुआ एवं इस प्रकार ब्याज हानि हुई ।

(पैराग्राफ 4.2.1)

- ◆ अस्पताल के उन्नयन का उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सकने के अलावा भूमि अधिग्रहण के कारण 96 महीनों (अगस्त 2012 तक) की अवधि के लिए ₹ 1.29 करोड़ का निवेश अवरूद्ध हुआ, जो कि अपनी वास्तविक क्षमता के 250 प्रतिशत तक प्रचालित होने के लिए जारी रहा ।

(पैराग्राफ 4.2.2)

1.7.8 स्वास्थ्य सेवा निदेशालय

1997 से 2008 के मध्य ₹ 13.13 करोड़ की लागत के साथ प्रस्तावित 60 से 700 बिस्तरों की क्षमता वाले 10 अस्पतालों का निर्माण 1997-2008 के मध्य किया जाना था, किन्तु किसी भी भूमिस्थल पर निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ (अगस्त 2012)। सामग्रियों तथा आपूर्तियों की प्राप्ति के लिए प्रविधियों तथा प्रक्रियाओं को निदेशालय ने अभिलेखित नहीं किया था। चूंकि आपूर्तिकर्ताओं द्वारा दी गई दरें आपूर्ति की जाने वाली अनुमानित मदों से सीधे संबंधित थी, केन्द्रीय क्रय एजेंसी (सीपीए) औषधि नीति में वर्णित दवाओं तथा सर्जिकल मदों की थोक खरीद द्वारा मितव्यता प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धी दरों का लाभ नहीं उठा सकी। दवाएँ/औषधियाँ वास्तविक आवश्यकता से काफी पहले ही खरीद ली गई थी जिसके कारण वर्ष के अंत तक काफी राशि अप्रयुक्त रही।

संविदा दरों की विस्तृत अवधि में दवाओं की बाजार दर का विश्लेषण करने के लिए कोई प्रणाली नहीं थी इसके परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ताओं को वित्तीय लाभ प्राप्त हुआ क्योंकि दवाओं की दरें इस अवधि में घट गई, जिससे अकेले केन्द्रीय भंडार द्वारा दवाओं की खरीद से ₹ 1.46 करोड़ की परिहार्य हानि हुई।

खरीद तथा आपूर्ति की योजना बनाने तथा प्रबंध करने हेतु निदेशालय सीपीए तथा केन्द्रीय भंडार स्तर पर कोई भी मैन्युअल अथवा कम्प्यूटरीकरण प्रबंधन सूचना प्रणाली तैयार नहीं की गई।

सीपीए औषधियों तथा सर्जिकल मदों का परीक्षण नियमित आधार पर किया गया तथा सीपीए एवं केन्द्रीय भंडार स्तर पर आपूर्ति की जाँच का कोई तरीका नहीं था जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि दवा के सभी समूहों का परीक्षण किया जा चुका है। आगे गैर-सीपीए खरीद के मामलों में, माँग इकाईयाँ आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत दवाओं के इनहाउस परीक्षण रिपोर्टों पर निर्भर थी, जो कि असंगत थी।

2010 में दिल्ली कैबिनेट द्वारा अनुमोदित जन स्वास्थ्य मानकों को अभी तक लागू नहीं किया गया जिसमें विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रदान की गई प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण उत्पन्न विषमता को संबोधित किया गया था।

39 मुख्य प्रयोगशालाओं में कभी भी विभाग द्वारा किसी पैथोलॉजिस्ट / लेब टैक्नीशियन के पदों की संस्वीकृति नहीं दी गई। इसके अतिरिक्त, सभी मुख्य प्रयोगशालाओं में भेजे गए मामलों की प्रतिशतता सभी मामलों में 8.43 प्रतिशत तक निम्न थी।

मोबाईल क्लिनिक चलाने हेतु एनजीओ की सेवाओं को 43 से 48 प्रतिशत तक उपयोग करने के अतिरिक्त सरकारी अस्पतालों एवं डिस्पेंसरियों ने 18 से 24 प्रतिशत कर्मचारियों की व्यवस्था की। आगे, विभागीय डॉक्टरों की अनुपस्थिति के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं थी। अपर्याप्त निगरानी तथा मोबाईल क्लिनिकों का विचलन भी देखा गया।

1.8 लेखापरीक्षा के समय वसूलियाँ

राज्य सरकार के विभागों के लेखों की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा प्राप्तियों में शामिल वसूलियों को आगे के लिए विभागों/राज्य सरकारों के पास लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों (नि.प्र.) द्वारा भेजा गया ताकि अधिक भुगतान /अतिरिक्त भुगतान के मामलों की वसूली लेखापरीक्षा को सूचित करते हुए की जाए।

वर्ष 2011-12 के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा निर्दिष्ट वसूलियाँ, जिनको विभाग ने स्वीकार किया तथा वसूलियाँ की गई, का वर्णन नीचे तालिका 1.1 में दिया गया है:

तालिका 1.1: लेखापरीक्षा के समय वसूलियाँ

(₹ करोड़ में)

विग	2011-12 में निर्दिष्ट वसूलियाँ	2011-12 के दौरान स्वीकृत वसूलियाँ	2011-12 के दौरान प्रभावी वसूलियाँ
सामाजिक क्षेत्र विभाग	15.04	15.04	2.57

1.9 लेखापरीक्षा को दी गई प्रतिक्रिया की कमी

विभागों से सम्बन्धित ले.प्र. में शामिल किए गए पैराग्राफों के सम्बन्ध में वर्ष 2011-12 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की कोई बैठक नहीं की गई, इस प्रकार किसी लेखापरीक्षा पैराग्राफ का निपटान नहीं किया गया।

31 मार्च 2012, की समाप्ति तक 2534 पैराग्राफों को शामिल करते हुए 668 निरीक्षण प्रतिवेदन बकाया थे जैसाकि तालिका 1.2 में ब्यौरा दिया गया है:

तालिका 1.2: ले.प. तथा पैराग्राफों की स्थिति

अथ शेष 1.4.2011		वर्ष के दौरान वृद्धियाँ		वर्ष के दौरान किए गए निपटान		अंतिम शेष (31 मार्च 2012)	
निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	पैराग्राफों की संख्या	निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	पैराग्राफों की संख्या	निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	पैराग्राफों की संख्या	निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	पैराग्राफों की संख्या
668	2427	76	670	76	563	668	2534

गंभीर वित्तीय अनियमितताओं तथा सरकार को हानि से संबंधित बड़ी संख्या में लम्बित पैराग्राफों को लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने के बावजूद भी, सरकारी विभागों द्वारा प्रत्युत्तर की कमी लेखापरीक्षा की उदासीनता को दर्शाता है ।

सरकार द्वारा मामले को देखना तथा विभागों से लेखापरीक्षा अभियुक्तियों की उचित प्रतिक्रिया को निश्चित समयावधि में सुधारा जाना चाहिए था ।

1.10 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन विषयों पर विभागों की प्रतिक्रिया

प्रधान महालेखाकार (ले.प.) द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल करने के लिए प्रस्तावित लेखापरीक्षा पैराग्राफ प्रारूप को सम्बन्धित प्रधान सचिवों/विभागों के सचिवों को उनके छः सप्ताह के अन्दर, प्रत्युत्तर हेतु लेखापरीक्षा उपलब्धियों तथा मांगों को ध्यान में लाने के लिए अग्रेषित किया गया । सरकार/विभागों से जवाबों की गैर-प्राप्ति के तथ्य लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किए गए, जोकि प्रत्येक पैराग्राफ के अन्त में दर्शाए गए थे ।

पाँच (5) ड्राफ्ट पैराग्राफ, दो पुनरीक्षण लेखापरीक्षा, एक मुख्य नियंत्रण अधिकारी आधारित लेखापरीक्षा (सीसीओ) तथा चार विषयक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (सामाजिक क्षेत्र) में शामिल किए जाने हेतु प्रस्तावित किया गया, को मार्च 2012 तथा फरवरी 2013 के बीच प्रधान सचिवों /सम्बन्धित विभागों के सचिवों को भेजा गया । प्रधान सचिवों / विभागों के सचिवों ने पाँच पैराग्राफों, दो निष्पादन पुनरीक्षणों तथा चार विषयक लेखापरीक्षा पैराग्राफों के सम्बन्ध में जवाब नहीं भेजे । इन पैराग्राफों को प्रधान सचिवों / विभागों के सचिवों के जवाब के बिना अध्याय-2,3,4 तथा 5 में शामिल कर लिया गया । जबकि, लेखापरीक्षित इकाईयों के प्रधान के जवाब जो भी प्राप्त हुए थे, को उचित लेखापरीक्षा टिप्पणियों सहित प्रतिवेदन में शामिल कर लिया गया ।

1.11 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के विभागों सामाजिक क्षेत्र से सम्बन्धित दिसम्बर 2012 (अनुलग्नक-1.1) को भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में शामिल किए गए बकाया एक्शन टेकन नोट्स के पुनरीक्षण ने दर्शाया कि दिसम्बर 2012 तक 35 एटीएन बकाया थे ।